राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 18/11/2014 को आयोजित 123वीं बैठक के कार्यवृत

बैठक की अध्यक्षता श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गई। बैठक में श्री आलोक पाण्डे, निदेशक, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री विपिन चन्द्र शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात, राजस्थान सरकार , श्री अभय कुमार, आयुक्त, उधोग, राजस्थान सरकार, श्री राजीव सिंह ठाकुर, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन डायरेक्टर, (LP & SHGs) राजस्थान सरकार, श्री अमरीश कुमार, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्थान सरकार, श्रीमती एम. एक्स, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण ,भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंको, व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/अधिकारियो द्वारा सहभागिता की गई। (सूची संलग्न है)

श्री आर.के.गुप्ता, संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को उदबोधन हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री पी.श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए बताया कि राज्य में विभिन्न पैरामीटर्स के तहत लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है तथा राज्य मे कार्यरत बैंकिंग समुदाय द्वारा अच्छा कार्यनिष्पादन कर विभिन्न पैरामीटर्स के तहत संतोषप्रद उपलब्धि दर्ज की गई है । राज्य में साख-जमा अनुपात 92.78% रहा, जो राज्य मे कार्यरत बैंको के उत्कृष्ट कार्य को दर्शाता है तथा ये सब राज्य में कार्यरत बैंकों तथा सरकार की सक्रिय सहभागिता / योगदान से ही सम्भव है । साथ ही उन्होंने डूंगरपुर तथा राजसमन्द दो जिलों मे साख-जमा अनुपात 50% से कम रहने को असंतोषजनक बताया तथा इन जिलों मे कार्यरत सभी बैको से चालू वर्ष के दौरान साख-जमा अनुपात मे आशातीत वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की ।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक को सम्बोधित करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम छमाही के दौरान राज्य में 209 नई बैक शाखायें खोली गयी है । उन्होने सभी बैंको से अनुरोध किया कि अपना शाखा-विस्तार प्लान एस.एल.बी.सी. को भेजे ताकि लक्ष्य अनुरूप शाखा विस्तार की समीक्षा की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि **वार्षिक साख योजना** के तहत प्रथम छमाही मे उपलब्धि 60% रही तथा कृषि क्षेत्र मे उपलब्धि 59% रही व MSE मे यह उपलब्धि 103% रही जबकि अन्य प्राथमिक क्षेत्र मे उपलब्धि 31% रही है । अतः अन्य प्राथमिक क्षेत्र मे आशातीत वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया गया कि राज्य मे कमजोर वर्ग को ऋण कुल अग्रिमों का 17.53% रहा है जो कि RBI द्वारा निर्धारित बैंचमार्क 10% से अधिक है व सदन को यह भी अवगत कराया कि हाल ही मे भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय मे जैन जाति को भी सम्मिलत किया गया है इसके बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण, कुल अग्रिमों का 8.49% रहा है । अतः प्रदत ऋणो का सही-सही वर्गीकरण एवं रिपोर्टिग की आवश्यकता पर जोर दिया । अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋणों में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु ओर प्रयास किए जाने तथा Minority Concentrated Blocks मे स्थित बैंक शाखाओं को विशेष लक्ष्य आवंटित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ।

अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना मे सभी बैंको द्वारा सर्वे का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । राज्य मे कुल 9406 SSA's है जो कि विभिन्न बैंक शाखाओं को आवंटित किए गये है । सभी SSA's मे बैंक शाखाएं सक्रिय सहभागिता कर रही है व राज्य मे विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा 65% सर्वे का कार्य अभी तक पूर्ण कर लिया गया है । शेष रहे सर्वे के कार्य को प्राथमिकता के साथ करने पर जोर दिया । कुछ शाखाओं द्वारा सर्वे का कार्य 100% कर लिया गया है जो इन शाखाओं के उत्कृष्ट कार्य व सक्रिय सहभागिता को दर्शाता है । उन्होने सभी बैंको द्वारा 100% सर्वे का कार्य अति-शीघ्र करने पर जोर दिया ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सफल क्रियांवयन हेतु खाते खोलने के लिये निर्बाध रुप से Connectivity उपलब्ध होना आवश्यक बताया । Connectivity की समस्या के समाधान के लिये सरकारी स्तर पर आवश्यक कदम की आवश्यकता पर भी बल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी बैंको से प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत Personalized रूपे डेबिट कार्ड जारी करने व खाते e-KYC के माध्यम से खोलने पर जोर दिया । प्रत्येक शाखा स्तर पर ATM (On-Site) लगाने व प्रत्येक SSA मे Fix-point BC लगाने पर भी जोर दिया । साथ ही वित्तीय साक्षरता के लिये अभियान/केम्प आयोजित करने की विशेष आवश्यकता बताई ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राजस्थान राज्य मे कार्यरत 35 RSETI/RUDSETIs मे से 33 को भू-आवंटन हो चुका है | RSETI/RUDSETIs जिनमें निर्माण का कार्य लम्बित है उनसे भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया |

अध्यक्ष महोदय ने वसूली को एक महत्वपूर्ण एजेण्डा बताया तथा सभी बैंको से दिसम्बर माह मे आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत सप्ताह मे सक्रिय सहभागिता करने पर जोर दिया । राज्य में बडी संख्या मे बकाया **RODA Cases** के मद्देनजर सरकारी विभागों को वसूली मे बैकों को सहयोग देने पर बल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्धि की समीक्षा एवं अन्य विकासपरक मुद्दों पर आज की बैठक के कार्यसूची में विस्तृत चर्चा की जावेगी । अंत में उन्होने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद ज्ञापित किया ।

तत्पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गई ।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1)</u> सदन द्वारा विगत 122 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:</u>

(i) Sub Service Area Approach- Coverage of all unbanked sub service area

राज्य की सभी 9091 ग्राम पंचायत में 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) चिन्हित किए गए है, जिनमें से 8037 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) बैंक शाखा/बी.सी. के माध्यम से कवर किए जा चुके है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंको को आवंटित शेष रहे 1412 unbanked SSAs को 30.11.2014 तक कवर करने तथा Uncovered Household के खाते खोलने हेतु शिविर लगाकर कवरेज का कार्य करने का आग्रह किया गया ।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने बैंको द्वारा स्थापित कियोस्क/ बी.सी. Location पर बैंकिग लेन-देन/सेवायें नियमित आधार पर करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा सभी बैंको से अनुरोध किया कि बी.सी. की सम्पूर्ण सूचना जैसे नाम, पता, सम्पर्क सूत्र, फोटो, पिन कोड इत्यादि एस.एल.बी.सी. को प्रदान करे जिससे की सम्पूर्ण सूचना को एस.एल.बी.सी. की साईट पर डाला जा सके तथा बी.सी. की सेवाओं का उपयोग सूक्ष्म बीमा एजेंट के रूप मे लेने के लिए बी.सी. सूची बीमा कंपनियों के साथ साझा की जा सके ।

सभी गैर जीवन बीमा कंपनियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित कर एस.एल.बी.सी. के साथ साझा करने का अनुरोध किया गया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक/बीमा क.)

(ii) Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव को राजस्व विभाग के ड्रॉप करने के निर्णय से अवगत करवाया गया । इस क्रम में संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बढते NPA को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से एक्ट में संशोधन करने व पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

(iii) Installation of Onsite ATM:

राज्य मे कार्यरत 6478 शाखाओं मे से 3148 शाखाओं मे Onsite ATM है।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने शेष रही शाखाओं को Onsite ATM स्थापित करने के लिये सभी बैकों को आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया एवं बताया कि ऐसी शाखा जहां ATM लगाना व्यवहार्य नही है वहां पर ATM वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार संबंधित बैंक शाखा के 500 मीटर के आसपास के क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जा सकता है ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

(iv) Allotment of land to RSETIs, Alwar & Bharatpur Districts and early resolution of the issue of land Conversion charges

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने राज्य सरकार से अलवर एवं भरतपुर R-Seti को भूमि आवंटन करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही-ग्रामीण विकास विभाग)

(v) Setting of Clearing Arrangement /Clearing House at Centers which have 3 or more Bank Branches

राज्य मे चिन्हित किये गये 229 केन्द्रों मे से सितम्बर,2014 को 111 केंन्द्रो पर clearing arrangement/Clearing House सुविधा उपलब्ध करवा दिये जाने से सदन को सूचित किया गया ।

सभी DCC Convenor Banks से अनुरोध किया गया कि सभी चिन्हित किये गये केन्द्रों पर clearing arrangement/Clearing House सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवायें ।

(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)

एजेण्डा क्रमांक - 2:

शाखा विस्तार: राज्य में 30.09.2014 को कुल 6478 बैंक शाखाएँ कार्यरत है। चालू वित्त वर्ष के दौरान खोली गई 209 शाखाओं में से 180(86%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की

गई । चालू वित्त वर्ष के दौरान सितम्बर 2014 तक खोली गई 209 शाखाओं में से व्यवसायिक बैंको की 190 शाखांए, ग्रामीण बैंको की 18 शाखांए तथा कोपरेटिव बैंक की 1 शाखा है ।

जमाएँ व अग्रिम: सितम्बर 2014 को राज्य में कुल जमाएँ रूपये 227800 करोड़ तथा कुल अग्रिम रूपये 202814 करोड़ रहा ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को कुल ऋण रूपये 112518 करोड़ रहा जो कुल अग्रिम का 55.48% रहा ।
राज्य मे कुल अग्रिमों का कृषि क्षेत्र को अग्रिम 30.02% रहा । कमजोर वर्ग को 17.53% तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त कुल ऋणो का अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण 8.49% रहा ।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकेर्स समिति द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋणों में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु ओर प्रयास किए जाने तथा Minority Concentrated Blocks मे स्थित बैक शाखाओं को विशेष लक्ष्य आवंटित करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत ऋणो का सही-सही वर्गीकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया ।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): सितम्बर, 2014 को राज्य में साख जमा अनुपात 92.78% रहा। जिला स्तर पर 31 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से अधिक रहा, वहीं दो जिलों यथा डूंगरपुर व राजसमन्द में यह अनुपात क्रमशः 44% एवं 46% रहा है ।

अध्यक्ष महोदय ने सभी बैंको द्वारा इन दो जिलो मे साख जमा अनुपात मे वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान वार्षिक साख योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष सितम्बर तक उपलब्धि 60% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 59%, सूक्ष्म व लघु उधम क्षेत्र में 103%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 31% की उपलब्धि दर्ज की गई ।

श्रीमती एम. एक्स, महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सभी बैंको से वार्षिक ऋण योजना के तहत कृषि सावधि ऋण ,अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जेएलजी, एवं स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

एजेण्डा क्रमांक – 3-

Roadmap for covering all unbanked villages of population below 2000

2000 से कम आबादी वाले 35085 बैंक रहित (Unbanked) गांवो मे से 19826 गांवो को मार्च 2015 तक कवर करना है जिनमे से सितम्बर 2014 तक 12015 गांव कवर कर लिये गये है |

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि चिन्हित किये गये गांवो को सम्बन्धित बैक, निर्धारित समय सीमा मे कवर करना सुनिश्चित करें तथा यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैक से प्राप्त Clarification के अनुसार चिन्हित गावों मे Roadmap मे दर्शाये गये Coverage Mode मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नही रहेगा तथा जिन गांवो को शाखा या Fixed बीसी से Cover किया जाना है उनमे उनकी स्थापना सुनिश्चित की जावे ।

(कार्यवाही- सदस्य-बैंक)

Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSCs for Direct Cash Transfer – Sub Service Area Approach:

DFS, GoI ने वित्तीय समावेशन के तहत SSA approach को अपनाया है जिसके तहत जनसंख्या व दूरी के आधार पर राज्य मे कुल 9091 ग्राम पंचायतों मे 9406 SSAs चिन्हित किये गये है तथा बैकों को आवंटित किये गये है। जिनमे से 30.09.2014 तक 8037 SSAs कवर किये जा चुके है |

भारतीय रिजर्व बैंक के शाखा प्राधिकरण नीति के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एक वर्ष में खोली गई शाखाओं मे से 25% शाखाएं बैंक-रहित गांवों में खोलनी है ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अनुरोध किया गया है कि शेष रहे SSA मे भी अतिशीघ्र बैकिंग आउटलेट (शाखा/कियोस्क/मोबाइल वैन इत्यादि) स्थापित करने की कार्यवाही की जाये ।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

On the issue of divergence between the guidelines of Government (Coverage of SSA) and RBI **(Covereage of villages < 2000),** Department of Financial Service-MoF, GoI clarified that:-

"**In fact there is no divergence between RBI and Government guidelines. If read together, the Government guidelines stipulate a Stationary Business Correspondent Agent (BCA) in a SSA who can also cater to the needs of the nearby villages by fixing certain days in a week / fortnight to visit all other villages in the SSA. Thus the two guidelines supplement each other"**

मिटिंग मे पुष्टि की गई कि एस.एल.बी.सी, द्वारा सभी सदस्य बैंको को उपरोक्त दिशानिर्देशों के बारे मे पूर्व में ही अवगत करवा दिया गया है ।

<u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना :</u> प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों के खाता खोलना तथा अन्य बैंकिंग सुविधाएं जैसे वितीय साक्षरता, सुक्ष्म ऋण सुविधाए , RuPay डेबिट कार्ड , सुक्ष्म बीमा उत्पाद , इत्यादि मुहैया करवाना है । इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया ।

इस योजना का मिशन मोड मे क्रियांवयन किया जा रहा है । इसकी कार्ययोजना के तहत निम्नानुसार 6 कार्यबिन्दु (6 Piller) बनाये गये है ।

1. बैंकिंग सुविधाओं के लिए यूनिवर्सल एक्सेस
2. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
3. बुनियादी बैंकिंग खातो की उपलब्धता
4. माइक्रो क्रेडिट की उपलब्धता और ऋण गारंटी कोष की स्थापना
5. सूक्ष्म बीमा की उपलब्धता
6. असंगठित क्षेत्र मे स्वावलम्बन जैसी पेंशन योजना

निदेशक, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ने सभी बैंको को आवंटित SSA एवं Wards मे सर्वे के कार्य को प्राथमिकता के साथ करने । तथा सर्वे का कार्य जिलेवार बैंकवार 100% करने हेतु योजना बनाने पर जोर दिया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के सुगम क्रियान्वयन के लिए एस.एल.बी.सी. स्तर पर Toll free नम्बर स्थापित किया गया है जिसका नम्बर 1800-180-6546 है ।

<u>Connectivity Issue:</u>

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सफल क्रियांवयन हेतु खाते खोलने के लिये निर्बाध रुप से Connectivity उपलब्ध होना आवश्यक बताया । Connectivity की समस्या के समाधान के लिये सरकारी स्तर पर आवश्यक कदम की आवश्यकता पर भी बल दिया गया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि बैंक जो अपनी VSAT शाखाओं को Lease Line Connectivity प्रदान करना चाहते है वो BSNL मे आवेदन करने के बाद एक निर्धारित प्रोरूप मे एस.एल.बी.सी. को सूचित करे ताकि मुद्दे को दूरसंचार विभाग के साथ होने वाली साप्ताहिक बैठक मे उठाया जा सके ।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

National Unified USSD Platform (NUUP):

राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी मंच (NUUP) आधारित एक मोबाइल बैंकिंग सेवा है जिसमे बैंकिंग ग्राहक को बैंकिंग सेवाऐ मोबाईल निम्न सेवाऐ दी जाती हैं ।

1. बैलेंस पूछताछ
2. खाता विवरण (पिछले तीन लेन-देन)
3. इंटरबैंक फंड ट्रांसफर
4. एम-पिन बदलने

इस सेवा के उपयोग के लिए अपने बैंक मे पंजीकृत मोबाईल नम्बर से * 99 # शॉर्ट कोड डायल करना पडता है ।
संयोजक एस.एल.बी.सी. ने इस सेवा का प्रचार प्रसार बैनर/पोस्टर, एफएम रेडियो, स्थानीय केबल ऑपरेटर व प्रिंट मीडिया के माध्यम से करने पर जोर दिया, साथ ही इस सेवा से सभी स्टाफ सदस्यों को अवगत करवाने का अनुरोध किया ।

Urban Financial Inclusion:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि अरबन वार्ड सभी बैंको को आवंटित कर दिये गये है । अतः शहरी गरीब, विस्थापित व्यक्तियों इत्यादि को बैकिंग सेवा के दायरे मे लाने हेतु बैंको द्वारा अरबन कियोस्क स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

Uploading of GIS data:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि GIS Portal पर बैंकों से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी यथा नई शाखा/करेंसी चेस्ट, नियुक्त बीसी. एजेण्ट, नए स्थापित ए.टी.एम. इत्यादि अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा अपडेट रखनी है। नियमित अपडेशन के लिये जिले मे स्थित सभी बैको द्वारा उक्त जानकारियां अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है ।

डी.सी.सी. संयोजक बैंक से अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा GIS Portal पर मासिक आधार पर सूचनाओं को अधतन करवाना सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया ।

(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)

एजेण्डा क्रमांक – 4:

Agriculture Credit Flow:

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने राज्य मे कृषि ऋणों में वृद्धि हेतु अपार सम्भावनाये बतायी तथा Investment Credit पर विशेष बल देने की आवश्यकता बतायी तथा क्षेत्र आधारित Investment Credit पर जोर दिया व सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को रूपे डेबिट कार्ड/ए.टी.एम कार्ड शीघ्र जारी करने पर बल दिया ।

महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने भी क्षेत्र आधारित इनवेस्टमेण्ट क्रेडिट जैसे Dairy, Horticulture, Vegetable Growing पर जोर दिया तथा इन सभी क्रियाकलापो मे Investment Credit बढाने हेतु DDM's & LDM's की सहायता लिये जाने पर जोर दिया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा Rajasthan Agricultural Credit Operations(Removal of Difficulties) Act,1974 तहत दायर मामलों मे वसूली हेतु राजस्व अधिकारियों को लक्ष्य आंवटित कर वसूली मे सहयोग करने का राज्य सरकार से आग्रह किया गया । साथ ही रु. 5.00 लाख व इससे अधिक बकाया वाले खातों मे राको एक्ट के तहत वसूली की संवीक्षा राज्य स्तर पर करने के लिये व्यवस्था/प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया ।

एजेण्डा क्रमांक – 5: Government Sponsored Schemes:

National Rural Livelihood Mission:

योजना के तहत 24001 SHG's गठित और सहयोजित किए गये है तथा 4769 SHG's को क्रेडिट लिंक किया गया । (Source Data : Rajeevika, Sep 14)

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने उक्त योजना के चालु वित्त वर्ष 2014-15 के लक्ष्य प्राप्त किये जाने पर बल दिया ।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

National Urban Livelihood Mission (NULM):

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को सूचित किया गया कि 01.04.2014 से राज्य मे **SJSRY** की जगह NULM (National Urban Livelihood Mission) लागू की गयी है तथा परियोजना निदेशक, स्वायत्त शासन

विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राज्य हेतु योजनान्तर्गत नगर निकाय वार लक्ष्य आवंटन कर 23.07.2014 को प्रेषित किये गये जो कि SLBC द्वारा दिनांक 25.07.2014 को सभी LDM's को Circulate कर दिये गये थे ।

उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्रांक दिनांक 28.10.2014 द्वारा सुचित किया कि योजना के तहत अब तक 210 आवेदन पत्र बैंको को भिजवाये जा चुके है जो विभिन्न बैंको मे लम्बित है ।

इसी क्रम मे संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु सदस्य बैंको से अनुरोध किया ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): नोडल एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि चालू वर्ष (2014-15) के दौरान PMEGP योजना के तहत प्रथम किस्त का वितरण EDP Training के बाद ही किया जाना है अतः बैंक पात्र आवेदन पत्रो मे ऋण स्वीकृति की कार्यवाही यथाशीघ्र करें जिससे नये स्वीकृत आवेदन पत्रों में EDP Training लाभार्थियो को दी जा सके । साथ ही लम्बित आवेदन पत्रों का बैंको द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी ने लम्बित आवेदन पत्रो का निस्तारण RBI द्वारा निर्धारित समय सीमा में करने तथा वितरण हेतु लम्बित प्रकरणो में जहां लाभार्थियो द्वारा EDP प्रशिक्षण लिया जा चुका है उनमे वितरण का कार्य भी शीघ्र किये जाने हेतु अनुरोध किया ।

Self Help Groups (SHG): सदन को अवगत करवाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 मे सितम्बर तक राज्य में 12079 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज से तथा 9496 समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया है । SHG बैंक/क्रेडिट लिंकेज हेतु अनुमोदित Common आवेदन पत्र एस.एल.बी.सी. वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है।

भारत सरकार की पिछड़े जिलों यथा बाडमेर,बांसवाडा,डूंगरपुर,झालावाड में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन योजना के तहत राज्य में वर्ष 2014-15 के लिये 7080 SHGs का गठन किया गया । सितम्बर,2014 तक कुल 6768 समूहों का बैंक लिंकेज तथा 1962 समूहों का क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज से जोडने का आग्रह किया गया ।

एजेण्डा क्रमांक – 6: Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC) :

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

राज्य परियोजना समन्वयक ने बताया कि आंध्रप्रदेश, एसएलबीसी ने RSETIs प्रशिक्षण के लिए एक वर्ष में एक बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा 10 उम्मीदवारों की पहचान कर, प्रायोजित करने का प्रस्ताव पारित किया । इस मुद्दे पर संयोजक एसएलबीसी, व सदन मे उपस्थित सदस्य बैंको के अधिकारीगणो ने भी उक्त प्रस्ताव पारित करने के लिए सहमति प्रदान की ।

राज्य परियोजना समन्वयक ने बताया कि RSETI द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान 20900 नवयुवको के लक्ष्य के सापेक्ष 12390 उम्मीद्वारो (59%) को प्रशिक्षित किया गया तथा कुल 6270 उम्मीद्वार Settled हुए जिनमे से 1374 उम्मीद्वार बैंक लिंकेज से Settled हुए ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने RSETI द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को क्रेडिट लिंकेज बैंक शाखाओं द्वारा स्थापित किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया । ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कई जिलों में, RSETIs ने बैंकों की शाखाओं को वित्तीय सहायता के लिए Application भेजना शुरू कर दिया है । लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, इस तरह के आवेदन पत्र लंबित रहते हैं । सदन ने लम्बित रहे आवेदनो का शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने राज्य सरकार से अलवर एवं भरतपुर R-Seti को भूमि आवंटन करने तथा भूमि आवंटन से जुडे अन्य 5 लम्बित मामलो को शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया ।

शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन डायरेक्टर, (LP & SHGs) राजस्थान सरकार, ने सभी लम्बित मामलों को शीघ्र निस्तारण हेतु आश्वस्त किया ।

(ग्रामीण विकास विभाग)

Financial Literacy Centers (FLCs):

राज्य मे 59 **FLCs** केन्द्र स्थापित किये जा चुके है व इन केन्दों द्वारा समय-समय पर जागरुकता कैम्प,रात्री चौपाल व बैठकों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता मुहैया करवायी जा रही है।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 7: Performance under CGTMSE</u>:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सितम्बर 2014 तक राज्य में 593 करोड़ के 7224 प्रकरणों को CGTMSE योजना के तहत कवर किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 8: शिक्षा ऋण</u>: चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिये MOF द्वारा निर्धारित 97499 खातों मे कुल बकाया राशि रु.2388.55 करोड के लक्ष्यों के पेटे प्राप्ति(Achievment) 64578 खातों में बकाया राशि रु.1588.73 करोड रही ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 9:Rajiv Rinn Yojana- Housing to Urban Poor:</u>

The Ministry of Housing and urban Poverty Alleviation (MH&UPA), भारत सरकार ने शहरी क्षेत्र में आर्थिक कमजोर वर्ग तथा कम आय समूहों को आवासीय जरुरतों को पूरा करने के लिये एक संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना - राजीव ऋण योजना चालू की है ।

<u>एजेण्डा क्रमांक–10: वसूली:</u>

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि शीघ्र वसूली हेतु मजबूत कानूनी ढांचा बनाने की जरुरत हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं तहत बकाया की वसूली स्टेट ड्यूज की तरह करने के लिये PDR Act मे आवश्यक संशोधन करने हेतु वित्त/राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

NPA के उच्च स्तर को देखते हुये **अध्यक्ष महोदय ने** राज्य सरकार के अधिकारियों से संयुक्त वसूली Compaign आयोजित करने का आग्रह किया ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 11:</u>

Disaster Management Act 2005:

National Diasaster Management Authority (NDMA), GoI has formulated guidelines on ensuring disaster construction of building and infrastructure financed through banks

सभी बैंको से NDMA की Guidelines को लागु करने व अनुपालना हेतु अनुरोध किया गया ।

बैठक का समापन सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया ।

****